# मसौदा 'पंजाब राज्य किसान नीति'

## प्रस्तावना

पंजाब राज्य किसान एवम् कृ-ि कामगार आयोग ने पंजाब राज्य किसान नीति का मसौदा तैयार किया है। वास्तव में राज्य में इस कार्य के लिए पहले कोई ऐसी नीति नहीं थी, जिस कारण से यह कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया। हमारा प्रयास कोई ऐसी आदर्श नीति का दस्तावेज तैयार करने का नहीं है, जो प्रत्येक किसान की आशाओं को पूरा करता हो, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो अधिकतम किसानों के दीर्घकालिक हितों का एक व्यावहारिक नीति दस्तावेज बन सके।

इस दस्तावेज को तैयार करने में हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है। आयोग ने इस नीति का मसौदा तैयार करते समय पंजाब सरकार और किसानों के वित्तीय संकट को ध्यान में रखा है। इस नीति में सुझाए गए उपाय संपूर्ण तो नहीं हैं, किंतु सूचनात्मक हैं और हमारा इरादा है कि किसानों की खुशहाली बढ़ाई जाए और उन्हें बेहतर जीवनस्तर प्रदान करके पंजाब को बुलंदियों पर पहुंचाएं।

पंजाब राज्य किसान नीति में सुधार हेतु आपके मूल्यवान सुझावों, विचारों और सहयोग का स्वागत है।

**अध्यक्ष**
**पंजाब राज्य किसान एवम् कृ-ि कामगार आयोग**

# पंजाब राज्य किसान नीति

## ण परिचय

1. एक संक्षिप्त ऐतिहासिक दृ-टिकोण
2. राज्य की सीमाओं से बाहर की चुनौतियां

## ण भावी सोच

## ण एक किसान कौन है ?

## ण उद्देश्य

## ण नीति

1. ृासन (सरकार)
2. सामाजिक–आर्थिक विकास
3. जलवायु परिवर्तन, स्थायित्व और जैव–विविधता
4. भूमि
5. बिजली और पानी
6. फसलें
7. पशु पालन, मछली पालन और अन्य
8. कृ-ि अनुसंधान और शिक्षा
9. कृ-ि विस्तार
10. फसलोपरांत कार्य, मूल्य वृद्धि और विपणन
11. ऋण और जोखिम प्रबंधन
12. कृ-ि यंत्रीकरण

## ण नि-क-र्ा

ग परिचय

## 1.एक संक्षिप्त ऐतिहासिक दृ-िटकोण

स्वतंत्रता के समय बटवारे के बाद भारतीय पंजाब के भारतीय भाग को विरासत में पहले के समस्त पंजाब का कम उत्पादकता वाला भाग मिला। स्वतंत्रता के बाद केवल दो दशकों में पंजाब हरित क्रांति और समृद्ध किसान के उत्कृ-ट उदाहरण के रूप में उभरा, देश में अन्य राज्य अभी भी इसकी बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं।

1950 के दशक के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश से कृ-ि क्षेत्र हेतु इस राज्य में मूल संस्थागत और आर्थिक आधारभूत सुविधाऐं तैयार की गई। यह निवेश सिंचाई और ग्रामीण बिजलीकरण, कृ-ि अनुसंधान और विस्तार सेवा का विकास, सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत करने तथा मंडियों का विस्तार करने में किया गया। इसके साथ-साथ भूमि सुधार के कार्य भी किए गए और 1950-51 से 1964-65 के दौरान 4.6 प्रतिशत वा-िर्षक कृ-ि वृद्धि दर का रिकॉर्ड कायम किया, यह रिकॉर्ड हरित क्रांति से पहले ही बनाया गया था।

1960 के दशक के अंत में किसानों द्वारा नई उत्पादन तकनीक अपनाने, विपणन और भंडारण सुविधाओं का विस्तार, अधिक अनाज की सुचारू खरीद, तैयार मार्किट का लाभ, अन्य फसलों की तुलना में धान और गेहूं से बेहतर आय और सक्रिय उत्पादकता और संस्थाओं के कारगर प्रबंधन के कारण पंजाब राज्य ने गेहूं और धान के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इसके परिणामस्वरूप अन्य अधिकतम फसलों की खेती में कमी आई और लगातार कमी आती गई। समयबद्ध और प्रत्यक्ष कार्य सुनिश्चित करते हुए, कृ-ि उत्पादन में यंत्रीकरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पिछले कुछ समय की गेहूं और धान की वृद्धि दर का विवरण अनुबंध–1 में आंकड़ों के रूप में दिया गया है।

हरित क्रांति के दौरान कृ-ि में नियमित निवेश से समस्त क्षेत्रों में संपर्क बनाकर इस राज्य ने चहुंमुखी आर्थिक विकास की मिसाल प्रस्तुत की गई। इसी दौरान पंजाब में छोटे स्तर के कृ-ि उपकरणों का निर्माण, परिवहन और अन्य सेवाएं जुटाई गईं और यह सफल भी रही, इसके अतिरिक्त सामाजिक आधारभूत सुविधाएं तथा स्वास्थ्य और शिक्षा का भी प्रचार–प्रसार हुआ। पजांब कृ-ि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुशल किसान और किसानों तक उपकरणों तथा तकनीक की सुलभ पहुंच के कारण कृ-ि विस्तार पद्धति ने भी तकनीकी क्षेत्र में अपना महत्व दिखाया।

पारंपरिक कृ-ि उत्पादन के स्थान पर उच्च कृ-ि उत्पादन प्राप्त करने के लिऐ पूँजी की मांग बढ़ गई। पंजाब राज्य में सहकारी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित है, किंतु राजनैतिक हस्तक्षेप से भी ग्रस्त है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण बांटना और सार्वजनिक बैंकों ने भी भूमि गिरवी रखकर इस कार्य किसानों को संपूर्ण सहयोग दिया। पंजाब में 10 मिलियन एकड़ जुताई योग्य भूमि है और प्रति मौसम यहां अनुमानित रू. 24,000 करोड़ के कुल लघु–कालिक ऋण की आवश्यकता होती है, जबकि सभी बैंकों का बकाया फसल ऋण लगभग रू. 60,000 करोड़ है। राज्य में लगभग 26 लाख किसान हैं, जबकि सभी बैंकों ने मिलकर 40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। 11 व-र्ों (2004–05 से 2015–16) में ऋण लेने की दर 8 गुणा बढ़ी है, किंतु उत्पादन केवल 1.11 गुणा ही बढ़ा है। इससे चिंता उत्पन्न होती है कि (क) ऋण देने की योजना और इसका उपयोग क्या है तथा (ख) निगरानी पद्धति कारगर नहीं है। अनुमान है कि पंजाब में प्रत्येक 8.7 हेक्टेयर जुताई भूमि के लिऐ 1 ट्रैक्टर उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग 1,000 घंटे के 40 प्रतिशत से भी कम है, तो इसके उपयोग से कैसे और कितना लाभ मिल रहा है। इस कारण पिछले 2 दशकों से किसानों के ऋणी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कपट, अपराध भी बढ़ता जा रहा है, इस कारण बड़ी संख्या में किसान और कृ-ि मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं।

टयूबवेल पर अत्यधिक निर्भरता और भू–जल का अत्यधिक उपयोग करने का विवरण अनुबंध–2 में दिया गया है। व-र्ा 1973 में 10 मीटर से अधिक जल की गहराई वाले क्षेत्र 18 प्रतिशत थे, जो 2016 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो चुके हैं। पंजाब में ्रुद्ध

बिजाई क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 34 टयूबवेल हैं। केन्द्र की नीति सहित, कृ-ि कार्यों के लिऐ निशुल्क बिजली की राज्य नीति से धान की अधिक बिजाई की जाती है, जिस कारण भू-जल का अंधाधुँध उपयोग किया जा रहा है। इस कारण से 148 ब्लॉक में से 110 ब्लॉक से भू-जल का दुरूपोग किया जा रहा है। यह स्थिती गंभीर हो चुकी है और इस पद्धति को छोडना अनिवार्य हो चुका है, ताकि अगली पीढ़ी के उपयोग हेतु आवश्यक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन बचे रहें।

1980 के दशक के मध्य तक तो उत्पादन तकनीक ने बहुत अच्छा काम किया, किंतु इसके बाद कृ-ि वृद्धि दर कम होने लगी तथा धान और गेहूं की पैदावार में भी कमी आने लगी। रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा  नीति के कारण पंजाब ने धान और गेहूं की खेती के क्षेत्र को बढ़ाकर इनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई, जिस कारण पारंपरिक साधन कम होते चले गऐ। अब यह इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाना लाभकारी नहीं रहा और न ही इनकी उत्पादकता और अधिक बढ़ाई जा सकती है।

गिरते हुऐ जलस्तर के रूप में एक क्षेत्रीय आधारित प्राथमिक भूसंबंधी बाधा सामने आ चुकी है। इस कारण धान के स्थान पर कोई फसल उगाने की अति आवश्यकता है। आर्थिक स्तर पर भी कृ-ि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आय में वृद्धि नहीं हो रही है। अधिक लाभ देने वाली कृ-ि फसलें उगाने की आमतौर पर वकालत की जाती है। पंजाब बागवानी उपजों का ुद्ध आयातक है। किंतु, इस क्षेत्र में जाने की कई चुनौतियां हैं, जैसे की राज्य में पहले से स्थापित 70 प्रतिशत ग्रीन-हाऊस हानि में चल रहे हैं।

कृ-ि के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित विस्तार सेवाओं की कमी है। इस कार्य के लिए किसानों को लगातार सहयोग उपलब्ध कराना होगा और वर्तमान कृ-ि समर्थन कार्यों की रूपरेखा को बदलकर अधिक उपयोगी बनाए जाने की है।

कृ-ि और पशुपालन विभाग में 50 प्रतिशत से अधिक स्टॉफ की कमी है और विस्तार स्टॉफ की तैनाती भी ब्लॉकों के अनुसार समान नहीं है। कृ-ि उपकरण संबंधी कानून ऐतिहासिक रूप से कमजोर हैं और इस कारण कानून का उल्लंघन करने के मामलों पर सजा देने की संख्या न के बराबर है।

कृ-ि सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का भाग लगातार बढ़ रहा है और व-र् 2015-16 में कृ-ि सकल घरेलू उत्पाद में इसका 31.86 प्रतिशत भाग था। पशुपालन क्षेत्र में डेरी एक महत्वपूर्ण घटक है और राज्य में पशुधन के कार्यों के लगभग 80 प्रतिशत भाग में दुग्ध उत्पादन का योगदान है। राज्य में वर्तमान में लगभग 6,000 पशुओं पर एक पशु-चिकित्सक है। पशुपालन उद्योग में ऐंटीबॉयोटिक का अधिक और अनियमित उपयोग करना एक मुख्य चिंता का वि-ाय बन चुका है।

आज की चुनौतियां अतीत की सफलताओं का ही परिणाम है।

व-र् 1970-71 में 24.50 लाख कृ-ि मजदूर थे, जो 2015-16 में बढ़कर 35.22 लाख हो गए, किंतु कुल मजदूरों के प्रतिशत के रूप में कृ-ि मजदूरों की संख्या इसी अवधि में 62.70 प्रतिशत से कम होकर 35.59 प्रतिशत हो गई। इसमें संदेह नहीं कि कृ-ि क्षेत्र में अधिकतम कार्यबल का उपयोग जारी है, किंतु छिपी हुई बेरोजगारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे खेती तो की जा रही है किंतु औसत आय भी प्राप्त नहीं होती।

आस-पास के पहाड़ी राज्यों में कर-लाभ देने के कारण पंजाब उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है, जिस कारण पंजाब के युवाओं के लिए गैर-कृ-ि रोजगार के अवसर जुटाने में विपरित प्रभाव पड़ रहा है। किंतु आज भी देश में पंजाब के एक किसान परिवार की आय उच्चतम है, जो कि रू. 2,16,708 वार्-िक है। पंजाब में कृ-ि किसान परिवार की आय में गैर-कृ-ि घटक का भाग केवल 4.2 प्रतिशत है, जो कि रा-ट्रीय औसत का आधा है। इसका अर्थ है कि पंजाब में किसान परिवारों के लिए गैर-कृ-ि क्षेत्र में रोजगार का अवसर नहीं है और वे लगभग पूरी तरह से कृ-ि पर ही निर्भर हैं।

कृ-ि क्षेत्र और गैर-कृ-ि क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय का अंतर हाल ही के व-ाç में बढ़ा है, क्योंकि उत्पादकता लगभग स्थिर है, भूमि टुकडों में बंट रही है और उत्पादन की लागत तो बढ़ ही रही है। यह दर्शाता है कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कुशलता, अच्छी शिक्षा और रोजगार के विकल्पों के अवसर कम हैं। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के महात्मा गाँधी रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत प्रति जॉब कार्ड केवल 11 दिन वार्-िक का रोजगार दिया जाता है। इससे

भी अधिक महत्वपूर्ण है, विश्वसनीय आंकड़े न होने अथवा इनकी कमी से अच्छा व सटीक निर्णय लेने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

पंजाब सरकार केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं उठा पाती क्योंकि इसका स्टॉफ और सलाहकार निर्धारित दिशा निर्देशों से अच्छी तरह परिचित नहीं होते हैं और इनमें हुए परिवर्तनों के बारे में जानते ही नहीं हैं।

इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए 'किसानों के कल्याण कार्यों' को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सही और सटीक निर्णय लेने की आवश्यकता है।

सकारात्मक पहलू है कि पंजाब की उपजाऊ भूमि है, इसका लगभग 99 प्रतिशत बिजाई का क्षेत्र सिंचाई से युक्त है और यहां पर्याप्त मूलभूत कृ-ि सुविधाएं हैं, कृ-ि वैज्ञानिकों और उद्योगी किसानों का समर्पित समूह भी है।

इन सभी लाभकारी परिस्थितियों को देखते हुए पंजाब राज्य में कृ-ि को लाभकारी बनाने, आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल एवम् पौ-िटक राज्य, बाजार अनुकूल एवम् कृ-ि विविधता लाना कोई कठिन कार्य नहीं है।

## 2.राज्य की सीमाओं से बाहर की चुनौतियां

कई प्रकार से उत्पन्न हो रहे और नजर आ रहे पहलुओं पर पंजाब का सीमित अधिकार है, जिनसे राज्य की कृ-ि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

भारत में बढ़ती हुई आर्थिक खुशहाली से उपभोक्ताओं के खाने की वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है, उपभोक्ता प्रोटीन से भरपूर अनाज पर विश्वास करने लगा है, साथ ही राज्य में उत्पन्न होने वाले अनाज की अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग भी कम हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि अनाज की वास्तविक आपूर्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत की जा रही है। इससे पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत अनाज की खरीद पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

अन्य राज्यों में फसल उत्पादकता, उत्पादन और खरीद बढ़ रही है, यदि यही रूझान रहा तो पंजाब के अनाज की मांग कम होती जाएगी। केन्द्रीय सरकार भी एक नीति

तैयार कर रही है और आशंका है कि राज्यों से कहा जाएगा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक मूल्य भुगतान के अंतर का खर्च खुद उठाएं, दूसरी ओर अनाज के मूल्य कम होने पर केन्द्र सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य भी नहीं देती है।

सरकार एक ऐसी भावांतर भुगतान योजना तैयार कर रही है, जो उन फसलों की खरीद के लिए है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोि-त किए जाते हैं, किंतु उस दर पर खरीद नहीं करती। यह खरीद कार्यक्रम सभी के लिए नहीं होगा बल्कि प्रति किसान की भूमि और उत्पादन मात्रा की सीमा के अध्यधीन होगा। आने वाले समय में यही स्थिति गेहूं और धान के लिए भी हो सकती है, जिससे राज्य के किसानों के हितों की हानि होगी।

केन्द्रीय सरकार उर्वरक पर आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन करने जा रही है। यदि यह प्रति हेक्टेयर/प्रति फसल की दर से दी गई तो भी पंजाब के किसानों को लागत पर उसी सीमा तक मिलने वाले लाभ की हानि होगी।

कृि राज्य का वि-ाय है और उसी पर किसानों को अच्छी गुणवत्ता के उपकरण देने की जिम्मेवारी है, लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू अधिनियम राज्य स्तर पर लागू करने और इन्हें अपनाने में सहायक नहीं हैं।

कृि उपकरण, जिंसों का संग्रह, ब्रांड का मालिक और रिटेल नामक खाद्य मूल्य चैन के चारों भागों को मिलाया जा रहा है। बड़े-बड़े घराने इस पूरी मूल्य चैन पर नियंत्रण करने की मुहिम चला रहे हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे केन्द्रीय सरकार को भी इस पर नियंत्रण करने में, और किसानों के लिए कारोबार करने की ृार्त पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा और अंत में किसानों को हानि ही उठानी पडेगी।

अंतर्रा-ट्रीय व्यापार समझौते और आयात निर्यात नीतियां केन्द्रीय सरकार के अधिकार में हैं, जिनमें राज्य सरकारों के सुझावों और कठिनाईयों पर गंभीर विचार नहीं किया जाता। यह चिंताजनक है कि केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति कम होने पर तुरंत कार्यवाही करती है, किंतु कृि उपजों में मूल्य कम होने पर नहीं। किसानों को यह महसूस होता है कि उन्हें प्राथमिक मुद्रास्फीति को कम करने के लिऐ बलि का बकरा बनाया जाता है और किसान को होने वाली हानि पर इन नीतियों में कोई स्थान नहीं दिया जाता। भवि-य में जिन राज्यों में अनाज की कमी होती है उन्हें किसी भी

उपलब्ध क्षेत्र से इस कमी को दूर करने के लिऐ आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसमें भी पंजाब एक प्रमुख उत्पादक होने के कारण इस केन्द्रीय नीति के कारण होने वाली हानि को उठाएगा।

पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ खराब रिश्तों के कारण पंजाब आस-पास के अन्य देशों में भी व्यापार नहीं कर सकता। पंजाब राज्य भूमि से घिरा हुआ राज्य है और जो राज्य बंदरगाह के आस-पास हैं, उनकी तुलना में भी इसे हानि उठानी पड़ती है।

कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि होने से संसाधनों के आबंटन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और किसानों को उपकरणों की खरीद में अधिक लागत चुकानी पड़ेगी।

## II भावी सोच

आने वाली पीढ़ियों के लिए भौगोलिक संतुलन और पर्यावरण की रक्षा करते हुऐ नियमित आधार पर उन लोगों की आय में नियमित वृद्धि करना जो कृ-ि पर निर्भर हैं।

## III एक किसान कौन है ?

यह नीति किसानों के लिए है और कृ-ि के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए भी है। इसी लिए किसान ृाब्द की परिभा-ाा को कृ-ि से संबंधित कई कार्यों के लिऐ भी उपयोग किया गया है।

इस नीति में **'किसान'** ृाब्द का उल्लेख किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया है जो किसी कृ-ि जिंस के उत्पादन में आर्थिक और / अथवा आजीविका कमाने के लिऐ खेती करता है और इसमें सभी कृ-ि कार्य करने वाले, किसान, कृ-ि मजदूर, बंटाईदार और किराए पर खेती करने वाले ृाामिल हैं, तथा कृ-ि से संबंधित कोई और धंधा, जैसे फसल उगाना, मुर्गीपालन, पशुपालन, मछलीपालन, मधुमक्खी पालन और कृ-ि वनोपज।

## IV उद्देश्य

आर्थिक और भूगौलिक कारणों से अब समय आ चुका है कि कृ-ि नीतियों और सहायक पद्धतियों को पुनः तैयार करें और किसानों, विशे-ाकर छोटे, मझौले और भूमिहीन की समृद्धि और जीवनस्तर को सुधारने के लिऐ नियमित प्रयास किए जाएं। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः

1. सभी के जीवनस्तर का स्वीकार्य स्तर बनाना।
2. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
3. छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना।
4. ृासन में सक्रियता और किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में सुधार।

## टण् नीति

## 1. ृासन (सरकार)

अप्रभावी नीतियों से उत्पन्न विद्यमान कृ-ि संकट ही किसानों की व्यथा और आत्महत्या करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। कुछ नीतियों में तो अच्छे ृासन की कमी है, नियम और विनियमों का असंतो-ाजनक लागू होना और प्रशासनिक मामलों में केन्द्रीय सरकार के दखल देने से कृ-ि संबंधी नीतियां और इन्हें लागू करने में असफलता मिली है। खराब प्रशासन के लिए मंत्रालयों और उनमें स्थित विभागों के बीच समन्वय की कमी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अतः सरकार को निम्नलिखित करना चाहिएः

i. कृ-ि, सहयोग और पशुपालन मंत्रालयों को मिलाकर एक मंत्रालय बनाया जाए। इस मंत्रालय का पूरा दायित्व एक अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी पर होगा जिसको प्रत्येक नए विभाग के लिए उपयुक्त संख्या में वरि-ठ स्तर के अधिकारी सहयोग दें।
ii. किसानों की परिस्थितियों और कठिनाईयों का डाटा बैंक बनाया जाए। साक्ष्य आधारित नीति नवीनता और लागू करने के लिए व्यापक डाटा और मशीनों का उपयोग किया जाए।
iii. राज्य के सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में ई-डॉक्यूमेन्टस (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार) अनिवार्य किया जाऐ।

iv. किसानों को सेवाऐं देने, कृ‍ि विस्तार और सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिऐ आईसीटी तकनीक का लाभ उठाया जाए।

v. एक ऐसी सरल और अनुकूल शिकायत समाधान प्रणाली तैयार की जाए जो संसाधनहीन, गरीब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में समर्थ हो।

vi. सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप ऐसे होने चाहिऐं जो अधिकतम किसान परिवारों के लिऐ लाभदायक सिद्ध हों। यह कार्य सरकारी नीतियों के मूल्यांकन, इनके प्रभाव, सरकारी कार्यक्रमों की लेखा-परीक्षा, समय का संपूर्ण उपयोग, अधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन और आर्थिक सहायता के लक्ष्य को पाने के मानदंड़ों की जांच करके किया जा सकता है।

vii. हितधारकों से नियमित परामर्श करने की प्रक्रिया अपनाकर और लक्षित विशे‍ा समूह को सीधे सहायता प्रदान करने के लिऐ एक प्रक्रिया तैयार की जाए।

viii. पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम-सभा को सक्रिय बनाकर और सुविधा प्रदान की जाए ताकि राज्य के कार्यों को पूरा किया जा सके।

ix. भूमि को चिन्हित करने और रिकॉर्ड रखने के कार्य को ‍ीघ्र पूरा किया जाए और प्राथमिकता सार्वजनिक संपत्तियों को दी जाए।

x. सरकारी अधिकारियों को तकनीकी और प्रबंधकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

xi. वित्तीय प्रोत्साहन के अभिन्न अंग के रूप में कृ‍ि कार्यों से उत्पन्न मानव और पशुधन के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए निर्धारित उपायों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

xii. किसानों को उच्च गुणवत्ता के उपकरण मिलना सुनिश्चित करने के लिऐ मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए।

xiii. 24 घंटे किसान संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएं।

xiv. सरकार और पंजाब राज्य किसान आयोग के संरक्षकों को संबंधित स्थानों पर कार्यक्रम लागू करवाने की निगरानी करने के लिए ‍ामिल किया जाए।

xv. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी हस्तक्षेप, उपाय और संसाधनों का आबंटन इस नीति के उद्देश्य के अनुरूप हो।

xvi. दिल्ली में एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाए जो राज्य के किसानों की व्यथा और चिंताओं को केन्द्रीय सरकार के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत कर सके।